सहभागिता

कृषि प्रौद्योगिकी प्रसार में सहायक कृषक समूह

रेनू जेठी[1], जे.के. बिष्ट[2], प्रतिभा जोशी[3] और निर्मल चंद्रा[4]

" कृषक क्लब की सहभागिता से बैंक द्वारा पूरे क्षेत्र में अधिक से अधिक कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। क्लब के सदस्यों द्वारा पारंपरिक कृषि पद्धतियों की जगह अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज, जल संरक्षण तकनीक, पौध-संरक्षण की नई पद्धति आदि को अपनाया गया है। कृषक क्लब ने बीज एवं उर्वरक थोक में खरीदने के लिए कॉपरेट इनपुट आपूर्तिकर्ताओं से सम्पर्क स्थापित किया हुआ है। क्लब के सदस्य अब बीज, खाद, कीटनाशक जैसे उत्पादों की सामूहिक खरीद एवं विपणन कर रहे हैं। इस प्रकार सामूहिक रूप से विपणन करने से परिवहन शुल्क में भी कमी आई है और कृषकों को कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त हो रहा है। इन कृषक समूहों को इनकी कार्य प्रणाली एवं उन्नत कृषि के क्षेत्र में उपलब्धि के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पुरस्कृत किया गया है। "

प्राय: सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियां ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को कृषक समूहों/संगठनों द्वारा लागू करती हैं। ये कृषक संगठन किसानों के लिए सूचना एवं प्रसार का प्रभावी माध्यम हैं जिनके द्वारा उन्नत कृषि तकनीकों का प्रसार छोटे एवं सीमान्त किसानों के मध्य आसानी से किया जा सकता है। कृषक संगठनों के माध्यम से उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार हेतु विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा कृषक क्लब एवं स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। संस्थान द्वारा बागवानी मिशन के अन्तर्गत कृषक क्लब के माध्यम से उन्नत सब्जी उत्पादन तकनीक का प्रसार किया गया। संस्थान द्वारा बागवानी मिशन के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में कृषक क्लब की सहायता से सौ से अधिक पॉलीहाउस एवं पॉलीटैंक का निर्माण किया गया। इन पॉलीहाउस में कृषकों द्वारा संरक्षित स्थिति में टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी, बन्द गोभी, खीरा एवं मटर का सफलतापूर्वक उत्पादन किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड की तीन चौथाई से ज्यादा

[1-3]वैज्ञानिक; [2-3]प्रधान वैज्ञानिक, भाकृअनुप-विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

कृषक क्लब की बढ़ती उपयोगिता

कृषक क्लब के माध्यम से कृषकों को ऋण

गांवों में कुछ कृषक ऐसे भी थे जिनके पास कृषि भूमि के स्वामित्व के पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे या उनके पास पर्याप्त जमानत देने की क्षमता का अभाव था, फलस्वरूप वे बैंक से ऋण प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। संसाधनों की कमी से जूझ रहे कृषकों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कृषक क्लब द्वारा संयुक्त देयता समूह का भी गठन किया गया। संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.) चार से 10 लोगों का एक ऐसा अनौपचारिक समूह है, जोकि आपसी गारंटी समक्ष व्यक्तिगत या समूह व्यवस्था के माध्यम से बैंक से ऋण लेने के प्रयोजन से गठित किया जाता है। क्लब के सदस्यों ने क्षमता निर्माण हेतु समय-समय पर संस्थान एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। क्लब के सदस्यों द्वारा पारंपरिक कृषि पद्धतियों की जगह अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज, जल संरक्षण तकनीक, पौध-संरक्षण की नई पद्धति को अपनाया गया है। कृषक क्लब ने बीज एवं उर्वरक थोक में खरीदने के लिए सहयोगी निवेश (कॉपरेट इनपुट) आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क स्थापित किया हुआ है। क्लब के सदस्य अब बीज, खाद, कीटनाशक जैसे उत्पादों की सामूहिक खरीद एवं विपणन कर रहे हैं। इस प्रकार सामूहिक रूप से विपणन करने से परिवहन शुल्क में भी कमी आई है और कृषकों को कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त हो रहा है।

जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यहां की अर्थव्यवस्था मुख्यत: पर्वतीय कृषि पर निर्भर है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर खेत छोटे व बिखरे हुए हैं एवं सिंचाई की सीमित सुविधाएं हैं। अधिकतर किसान निर्वाह हेतु कृषि कर रहे हैं। पर्वतीय कृषि के वर्षा आधारित होने के कारण यहां पर फसल उत्पादन बहुत कम है। इस परिस्थिति को देखते हुए अधिकतर पुरुष आजीविका के लिए अन्य जगह पलायन कर चुके हैं। अत: इन क्षेत्रों में अब अधिकतर खेती का कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों की फसल पद्धति मुख्य रूप से पारंपरिक कृषि पर आधारित है।

कृषक क्लब बनाने का उद्देश्य

उत्तराखण्ड के ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में प्राय: कृषक संगठन ही ऐसे माध्यम हैं, जो कृषकों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। कृषक संगठनों के माध्यम से उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार हेतु विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा वर्ष 2009 से 2011 के बीच में चार कृषक क्लब एवं सात स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। कृषक समूहों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण

फायदे सहभागिता के

कृषि क्षेत्र में छोटे और सीमान्त किसानों को अपने व्यवसाय के लिए धन की उपलब्धता के लिए हमेशा परेशान रहना पड़ता है। ग्रामीण परिवारों को ऐसी वित्तीय संस्थाओं की जरूरत है, जो उन्हें कम ब्याज दरों एवं उचित शर्तों पर ऋण प्रदान कर सकें। प्राय: ये परिवार पारंपरिक साहूकार से ऋण लेते हैं जिस पर इन्हें बहुत अधिक ब्याज देना पड़ता है। यह दृश्य उत्तराखण्ड के अधिकतर गांवों में आम बात है। भौगोलिक एवं पर्यावरणीय बाध्यताओं के कारण अधिकतर कृषि आधारित नीतियां पर्वतीय क्षेत्रों में प्रभावी नहीं हो पाती हैं। अत: पर्वतीय क्षेत्रों में इस परिस्थिति को बदलने एवं कृषि के माध्यम से रोजगार के अवसर तलाशने की आवश्यकता है। उत्तराखण्ड जैसे पहाड़ी राज्य में यद्यपि विकास की अपार संभावनाएं हैं परन्तु कृषि क्षेत्र के विकास में सिंचाई की कमी, मौसमी वर्षा पर निर्भरता, ढलुआं भूमि प्रदेश, अविकसित संचार व्यवस्था जैसी कई कठिनाइयां हैं। ऐसी स्थिति में कृषकों को संगठित कर उनका नवीनतम कृषि तकनीकों से परिचय कराकर, बाजार तक पहुंच बढ़ाकर तथा उनकी प्रौद्योगिकी की जरूरतें पूरी कर कृषकों को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाया जा सकता है।

विकास बैंक (नाबार्ड) के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है :

- विवेकानन्द किसान क्लब, भगरतोला, अल्मोड़ा
- विवेकानन्द किसान क्लब, डिंगरीगूठ, अल्मोड़ा
- टोडरा दुधोली किसान क्लब, दूनागिरी, अल्मोड़ा
- कृषक क्लब दुबखड़, नैनीताल

कृषक क्लब द्वारा किये गये कार्य

निर्धन कृषकों में आय संबंधित छोटी-छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कृषक क्लब द्वारा सात स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। कृषकों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बैंक से जोड़ा गया, जिससे उनकी रोजगार विषयक छोटी-छोटी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके। स्वयं सहायता समूह एवं कृषक क्लब के सदस्य अपनी आय में से एक निश्चित धनराशि प्रतिमाह समूह एवं क्लब के बैक बचत खाते में जमा करते हैं। अब तक समूह एवं कृषक क्लबों के बैंक बचत खाते में तीन लाख से अधिक राशि जमा हो चुकी है। इन कृषक क्लब द्वारा बैंक शाखा के साथ अच्छा समन्वय स्थापित किया गया है। क्लब के सदस्यों ने ग्रामवासियों को बैंक से ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि ऋण समय पर चुकाया जा सके।

क्लब द्वारा उत्तराखण्ड एवं दूसरे पर्वतीय राज्य जैसे सिक्किम के कृषकों के साथ प्रौद्योगिकी अन्तरण किया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य, अन्य पर्वतीय राज्य एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा समय-समय पर कई अन्य कृषक समूहों को प्रौद्योगिकी अन्तरण हेतु इन क्षेत्रों का भ्रमण कराया जाता है। कृषक क्लब, सभी सदस्यों के लिए एक ऐसा मंच बन गया है, जहां वे ऋण की उपयोगिता, ऋण चुकौती, फसल चक्र, बुआई का समय, बीज व खाद की उपलब्धता एवं कृषि उत्पाद विपणन के बारे में आपस में चर्चा करते हैं।

कृषक क्लब की सहभागिता से बैंक द्वारा पूरे क्षेत्र में अधिक से अधिक कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

इन कृषक समूहों की कार्य प्रणाली एवं उन्नत कृषि तकनीक अपनाने के क्षेत्र में इनके योगदान से प्रभावित होकर नाबार्ड द्वारा विवेकानन्द किसान क्लब, भगरतोला के लिए एक ग्रामीण विक्रय केन्द्र की स्वीकृति प्रदान की गई। इस ग्रामीण विक्रय केन्द्र द्वारा कृषक अपना कृषि उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेच रहे हैं, जिससे उनको ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। अल्मोड़ा एवं बागेश्वर जिले में इन कृषक समूहों द्वारा किये गये कार्यों को एक आदर्श की तरह लिया जा रहा है।

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर छोटे एवं सीमान्त कृषक हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा इन कृषकों को संगठित कर सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इन कृषक समूहों द्वारा नवीनतम कृषि तकनीकों का प्रसार एवं प्रचार किसानों के मध्य आसानी से किया जा सकता है। इन समूहों द्वारा कृषक बैंकों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर कृषि एवं व्यक्तिगत कार्यों हेतु ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के संदर्भ में, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के विकास में कृषक समूह अहम भूमिका निभाने का सशक्त व सफल माध्यम बन सकते हैं। ■

कृषक क्लबों की बढ़ती महत्ता

सभी किसान क्लब सफलतापूर्वक संचालित किये जा रहे हैं। इन समूहों द्वारा महीने में कम से कम एक सभा आयोजित की जाती है। संस्थान द्वारा बागवानी मिशन के अन्तर्गत कृषक क्लब के माध्यम से उन्नत सब्जी उत्पादन तकनीक का प्रसार किया गया। कृषक क्लब के सदस्य सक्रिय रूप से खुली एवं संरक्षित स्थिति में सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। संस्थान द्वारा इन कृषक समूहों को अधिक उपज देने वाली सब्जी के उन्नत बीज, खाद, पॉलीहाउस, पॉलीटैंक, छोटे एवं आधुनिक कृषि यंत्र व समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान द्वारा बागवानी मिशन के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में कृषक क्लब की सहायता से सौ से अधिक पॉलीहाउस एवं पॉलीटैंक का निर्माण किया गया। इन पॉलीहाउस में कृषकों द्वारा संरक्षित स्थिति में टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी, बन्द गोभी, खीरा एवं मटर का सफलतापूर्वक उत्पादन किया जा रहा है। बेमौसमी सब्जी का उत्पादन करने से कृषकों को इन सब्जियों का बाजार में अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है। अधिकतर कृषक पॉलीटैंक का उपयोग सिंचाई के अलावा मछली पालन हेतु भी कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में किये गये शोध में यह पाया गया कि संरक्षित स्थिति में टमाटर, शिमला मिर्च एवं गोभी की उत्पादकता खुले खेत की स्थिति से क्रमशः 358, 252 एवं 87 प्रतिशत अधिक पाई गयी।

कृषक समूहों की उपलब्धियां

कृषक समूहों को इनकी कार्य प्रणाली एवं उन्नत कृषि के क्षेत्र में इनकी उपलब्धि के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत कुछ ऐसे कृषक समूहों के नाम निम्न हैं :

- विवेकानन्द किसान क्लब, भगरतोला को वर्ष 2009 में उत्कृष्ट कार्य हेतु नाबार्ड द्वारा राज्य स्तरीय उत्कृष्ट कृषक क्लब का पुरस्कार
- विवेकानन्द किसान क्लब, डिंगरीगूठ को वर्ष 2012 में उत्कृष्ट कार्य हेतु नाबार्ड द्वारा राज्य स्तरीय उत्कृष्ट कृषक क्लब का पुरस्कार।
- टोडरा-दुधोली किसान क्लब को उनके सराहनीय कार्य हेतु 2013 में नाबार्ड द्वारा जिला स्तरीय उत्कृष्ट कृषक क्लब का पुरस्कार।
- टोडरा-दुधोली किसान क्लब के मुख्य समन्वयक श्री जीत सिंह बाजनी को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 3 मार्च 2012 को सम्मानित किया गया।
- विवेकानन्द किसान क्लब, भगरतोला के प्रगतिशील किसान श्री अम्बादत्त पाण्डे को तत्कालीन माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार द्वारा 2010 में सम्मानित किया गया।